राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.4(ई)(1)(6)नि.प.(1642/2013)/अलेसे–III/ 2250 दिनांक : 23/08/2018

आदेश

श्री जगदीश कुमार पुत्र श्री हनुमान राम द्वारा दिनांक 27.07.2018 को विभाग में अभ्यावेदन दिनांक 26.07.2018 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होने एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14305/2017 श्री जगदीश कुमार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.07.2018 के अनुसरण में उनको कनिष्ठ लेखाकार पद पर नियुक्ति प्रदान करने का अनुरोध किया गया। श्री जगदीश कुमार के उक्त अभ्यावेदन के क्रम में प्रकरण की वस्तु स्थिति निम्न प्रकार है:–

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित क0 लेखाकार/त0रा0ले0 प्रतियोगी परीक्षा–2013 में चयन होने पर श्री जगदीश कुमार (मेरिट सं. 1642/2013) को निदेशालय के आदेश सं. 66/2017–18 दिनांक 30.06.2017 द्वारा के क0लेखाकार के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई थी। किन्तु श्री जगदीश कुमार के विरूद्ध मुकदमा नं. 197 दिनांक 11.12.2015 धारा 4 एवं 5 राजस्थान आवश्यक सेवा अधिनियम, 1970 पुलिस थाना बाड़मेर में पंजीबद्ध किया जाकर चालान नं. 124 दिनांक 18.12.2015 धारा 5 राजस्थान आवश्यक सेवा अधिनियम, 1970 पेश आदालत किये जाने पर आपराधिक प्रकरण लम्बित होने के कारण अभ्यर्थी के कार्यग्रहण करने से पूर्व उनके नियुक्ति आदेश को विभागीय आदेश सं. 416/2017 दिनांक 12.07.2017 के द्वारा आस्थगित (kept in abeyanc) कर दिया गया था।

इस सम्बन्ध में श्री जगदीश कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल रिट याचिका सं. 14305/2017 दायर की गई जिसमें माननीय न्यायाल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 24.07.2018 के अनुसार यह आदेश पारित किया गया कि "In light of such submission, the present writ petition is disposed of with a direction to the respondents to consider and decide the representation of the petitioner within a period of 30 days from strictly in accordance with law while keeping into consideration the judgment of Avtar singh (supra) by a speaking order. If the decision is taken in favour of the petitioner, he shall be given appointment consequently.

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 24.07.2018 के क्रम में अभ्यर्थी श्री जगदीश कुमार द्वारा दिनांक 27.07.2018 को विभाग में अपना अभ्यावेदन दिनांक 26.07.2018 प्रस्तुत कर क0लेखाकार पद पर नियुक्ति हेतु अनुरोध किया गया। अभ्यर्थी से प्राप्त अभ्यावेदन एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश दिनांक 24.07.2018 के क्रम में विभाग में उपलब्ध रिकॉर्ड एवं प्रकरण से सम्बन्धित नियमों का परीक्षण किया गया एवं विधिक राय प्राप्त की गई तथा माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस. एल.पी.(सि) सं. 20525/2011 (अवतार सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 21.07.2016 के प्रकाश में प्रकरण का परीक्षण किया गया और यह पाया गया कि सैद्धान्तिक तौर पर जो अपराध श्री जगदीश कुमार द्वारा कारित किया गया है, वह नैतिक अक्षमता से संबद्ध हैं तथा गंभीर दुराचरण पूर्ण है। अभ्यर्थी द्वारा यह कृत्य आवश्यक प्रकृति की सेवाओं में रहते हुए किया गया है, जिस कारण इसकी गंभीरता ओर भी बढ जाती है। ऐसी स्थिति में इनकी नियुक्ति की उपयुक्तता नहीं बनती हैं। अतः श्री जगदीश कुमार के अभ्यावेदन पर नियमानुसार उन्हें कोई अनुतोष दिया जाना संभव नहीं हैं। इस प्रकार उनका अभ्यावेदन एतद्द्वारा निस्तारित किया जाता है।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक : एफ.4(ई)(1)(6)नि.प.(1642/2013)/अलेसे–III/ 2250 दिनांकः 23/08/2018

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, वित्त (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (विधि), कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. श्री जगदीश कुमार पुत्र श्री हनुमान राम, निवासी एन.एच. 15, सारन नगर, गॉव एवं डाकघर– जालीपा, तहसील बाड़मेर, जिला बाड़मेर, पिन कोड 344001

Regd.

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–III)

Disk:-D/Desktop Files/order.docx.19